संख्या:-34/2026/900ई-2/तेरह-2026-2104279

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 07 नवम्बर, 2026

विषय:- मेसर्स श्रेयस डिस्टिलरीज एण्ड एनर्जी प्रा.लि., इकाई-माल्ट प्लान्ट, प्लाट नं. ए-3, सेक्टर- एस-5, गीडा, औद्योगिक क्षेत्र धुरियापार, जनपद गोरखपुर को 10 के.एल. प्रतिदिन क्षमता की माल्ट आसवनी स्थापना किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-61/दो-प्रा.डी.-308/श्रेयस डिस्टिलरीज, (माल्ट प्लान्ट) गोरखपुर, दिनांक 27-10-2026 एवं इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04-11-2026 में लिए गए निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्या:899ई-2/तेरह-2026-2104279, दिनांक 07-11-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 27-10-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स श्रेयस डिस्टिलरीज एण्ड एनर्जी प्रा.लि., प्लाट नं.ए-3, सेक्टर-एस-5, गीडा, औद्योगिक क्षेत्र धुरियापार, जनपद गोरखपुर द्वारा 10 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 3500 कि.ली. वार्षिक क्षमता की अनाज पर आधारित माल्ट आसवनी, जिसके अन्तर्गत ग्रेन से माल्ट स्प्रिट का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं (आसवनी की स्थापना) (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(3) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु ईकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पानकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की अध्यक्षता मे गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य प्रदार्थो की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(8) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(9) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(10) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(11) प्रदेश में स्थित आसवनियों/यवासवनियों में ग्रेन के भण्डारण, खरीदे गये ग्रेन के अभिलेखों का उचित प्रबंधन, अभिलेखों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण आदि के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(12) ग्रेन आधारित आसवनियों में प्रयुक्त मक्का तथा एफसीआई द्वारा आपूर्तित कॉमन/ग्रेड-ए चावल सहित विभिन्न अनाजों/फीडस्टॉक से प्रति कुण्टल उत्पादित ई.एन.ए./एल्कोहल की रिकवरी के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकीकृत मानदण्डों का इकाई द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या:4/1/2018(BP&E) (Part), दिनांक 11-11-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या:4/1/2018(BP&E) (Part), दिनांक 29-03-2023 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-864ई-2/तेरह-2023-107/2013 दिनॉक 10.05.2023 द्वारा प्रदेश में स्थित आसवनियों में अलग-अलग प्लाण्ट एवं संचय व्यवस्था होने पर अलग-अलग फीड से अलग-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अलग अल्कोहल (एथनॉल) उत्पादन किये जाने हेतु गाइडलाइन निर्धारित की गयी है, का आसवक द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(15) भविष्य में किसी अतिरिक्त प्लान्ट/मशीनरी स्थापित किये बिना इस प्लान्ट की क्षमता वृद्धि के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(16) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(दयाराम)
उप सचिव।

संख्या:-34/2026/900(1)ई-2/तेरह-2026-2104279 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।